भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2960
(18 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

दरभंगा में सड़कें और पुल

2960. श्री गोपाल जी ठाकुर:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चरण- III के अंतर्गत दरभंगा संसदीय क्षेत्र में 350 किलोमीटर से अधिक ग्रामीण सड़कें तथा सैकड़ों पुलों का निर्माण किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन सड़कों और पुलों के निविदा निष्पादन एवं निर्माण कार्य में व्यापक अनियमितता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या फर्जी दस्तावेजों एवं फर्जी लेखापरीक्षा का उपयोग करके अनेक ठेकेदारों को कार्य आवंटित किया गया है तथा निर्माण कार्य की गुणवत्ता ऐसी है कि अनेक सड़कें टूटने लगी हैं, जबकि पुल निर्माण कार्य में लोहा , सीमेंट एवं रेते का उपयोग कम किया जा रहा है तथा पाइलिंग अपेक्षित गहराई से कम की जा रही है और यदि हां , तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) क्या सरकार का चरण-III के दौरान दरभंगा संसदीय क्षेत्र में निर्मित की जा रही सड़कों एवं पुलों की निविदा निष्पादन प्रक्रिया सहित निर्माण कार्य की जांच केन्द्रीय तकनीकी जांच दल द्वारा कराने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क) बिहार राज्य द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार , दरभंगा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चरण -III के अंतर्गत 40 सड़कें (298.84 किमी) और 76 पुल स्वीकृत किए गए हैं , जिनमें से 20 सड़कें (210.79 किमी) और 7 पुलों का निर्माण अब तक किया जा चुका है।

(ख) से (घ) ग्रामीण सड़क राज्य का विषय है और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) पात्र बस्तियों को सड़क सम्पर्कता प्रदान करने के लिए सड़कों के निर्माण के माध्यम से ग्रामीण बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए केन्द्र सरकार का एक बारगी विशेष कार्यकलाप है। इस प्रकार, कार्यक्रम के कार्यान्वयन के विभिन्न पहलुओं जैसे निविदा , गुणवत्ता, पीएमजीएसवाई सड़कों का समय पर पूरा होना आदि सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है।

तथापि, पीएमजीएसवाई के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों के आवंटन में एकरूपता लाने के लिए मंत्रालय की तकनीकी शाखा राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेंसी (एनआरआईडीए) ने मानक बोली दस्तावेज (एसबीडी) बनाया है। राज्यों को पीएमजीएसवाई के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों के आवंटन के मामले में एसबीडी के विभिन्न प्रावधानों का पालन करना आवश्यक है।

इसके अलावा , पीएमजीएसवाई के तहत गुणवत्तापूर्ण सड़क कार्यों के निर्माण और सड़क परिसंपत्तियों का स्थायित्व सुनिश्चित करने के लिए पीएमजीएसवाई के तहत त्रि -स्तरीय गुणवत्ता नियंत्रण व्यवस्था मौजूद है। प्रथम स्तर पर, कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाइयों (पीआईयू) को क्षेत्रीय प्रयोगशाला में सामग्री और कारीगरी पर अनिवार्य परीक्षणों के माध्यम से प्रक्रिया नियंत्रण सुनिश्चित करना आवश्यक है। दूसरा स्तर राज्य गुणवत्ता मॉनिटरों (एसक्यूएम) के माध्यम से राज्य स्तर पर एक संरचित अलग गुणवत्ता निगरानी है , ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक कार्य का निर्माण के प्रारंभिक चरण , मध्यवर्ती चरण और अंतिम चरण में निरीक्षण किया जाए। तृतीय स्तर के अंतर्गत , जो राष्ट्रीय स्तर पर है , गुणवत्ता की निगरानी करने तथा क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं को वरिष्ठ पेशेवरों का मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए सड़क कार्यों के औचक निरीक्षण हेतु अलग राष्ट्रीय गुणवत्ता मॉनिटर (एनक्यूएम) तैनात किए जाते हैं। त्रिस्तरीय प्रणाली के अंतर्गत सड़कों की गुणवत्ता की आवधिक निगरानी के आधार पर, जहां भी आवश्यक हो, राज्य सरकारों द्वारा सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं। इसके बाद, की गई कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) का सत्यापन राज्य गुणवत्ता मॉनिटरों (एसक्यूएम) द्वारा कार्यस्थल पर किया जाता है। इसके बाद राज्य गुणवत्ता समन्वयक (एसक्यूसी) एटीआर की जांच करता है और अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। की गई कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) की निगरानी राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेंसी (एनआरआईडीए) द्वारा की जाती है।

मंत्रालय को माननीय संसद सदस्य श्री गोपाल जी ठाकुर से पीएमजीएसवाई -III के अंतर्गत कार्यों की निविदा में अनियमितताओं , फर्जी दस्तावेजों के आधार पर आवंटन तथा उक्त कार्यों के घटिया निर्माण के संबंध में पता चला है। तदनुसार, मंत्रालय ने एनआरआईडीए को कथित

कार्यों के निरीक्षण के लिए राष्ट्रीय गुणवत्ता मॉनिटर (एनक्यूएम) की एक टीम तैनात करने को कहा है। प्राप्त एनक्यूएम निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार , 5 कार्यों का निरीक्षण किया गया और सभी कार्य को 'असंतोषजनक' ग्रेडिंग का पाया गया।

इसके बाद, एनक्यूएम निरीक्षण रिपोर्ट राज्य के साथ साझा की गई और की गई कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) मांगी गई। बिहार राज्य ने सूचित किया है कि शिकायत प्राप्त होने पर मुख्य अभियंता-3, ग्रामीण कार्य विभाग (बिहार) की अध्यक्षता में एक जांच समिति गठित की गई तथा रिपोर्ट के जांच परिणामों के आधार पर संबंधित अधीक्षण अभियंता, कार्य प्रमंडल, दरभंगा के विरुद्ध आरोप पत्र दायर किया गया है। इसके अलावा, राज्य द्वारा आवश्यक सुधार कार्य या तो कर लिया गया है या किए जाने की प्रक्रिया में है।

पीएमजीएसवाई के तहत उक्त कार्यों की निविदा में ठेकेदारों द्वारा फर्जी दस्तावेजों के कथित उपयोग के संबंध में, राज्य ने सूचित किया है कि फर्जी अनुभव और लेखा परीक्षा रिपोर्ट के संबंध में प्राप्त शिकायतों के आधार पर कार्यपालक अभियंता, निर्माण प्रमंडल, दरभंगा-I द्वारा दो ठेकेदारों के अनुबंध समाप्त कर दिए गए हैं।

*****